

कार्यालय नगरपालिका मण्डल सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज०)

दिनांक : 06/07/2023

क्रमांक/भूमि/2023-24/1130

— : प्रमाण-पत्र : —

नगरपालिका सूरतगढ़ द्वारा (1) श्री वृजनीत सिंह पुत्र श्री अवतार सिंह (2) श्री सन्दीप कुमार पुत्र श्री केवल कृष्ण डांग (3) श्री देश पाल पुत्र श्री वीरभान (4) श्रीमती स्वर्ण बंसल पत्नी श्री अरविन्द बंसल (5) श्रीमती राकेश कुमारी पत्नी श्री भूषण कुमार (6) श्रीमती सन्तोष भटेजा पत्नी श्री सतीश भटेजा (7) श्रीमती अन्जु भटेजा पत्नी श्री बाबू लाल भटेजा निवासीयन सूरतगढ़ द्वारा कस्या सूरतगढ़ खसरा नं. 329/2/2 में 1.696 हे. यानि 16960 वर्गमीटर भूमि (आशियाना डेवलपर्स, सूरतगढ़) (कृषि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत कृषि भूमि से अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ अनुज्ञा आदेश क्रमांक 807-810 दिनांक 08.04.2022 को अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ़ द्वारा जारी किया गया है। उक्त आवासीय कॉलोनी में आन्तरिक विकास के अन्तर्गत पोलिंग सड़क, नालिया, वाटर पाईपलाईन, पार्क, विद्युत कार्य व सिवरेज लाईन हेतु कॉलोनाईजर द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर भूखण्ड सं. बी-17, बी-24, बी-27, बी-33, बी-38, बी-45, बी-49, बी-57 कुल 08 भूखण्ड (योजना का 12.5 प्रतिशत भाग) पालिका के पास रहन रखे गये है, जिसको बिना पालिका के अनुमति से विकासकर्ता द्वारा किसी भी स्थिति मे विक्रय नहीं किया जावेगा। आन्तरिक विकास कार्य जैसे-जैसे पूर्ण करने की स्थिति मे जांच उपरांत रहन मुक्त किये जा सकेंगे।

पालिका समिति की मौका रिपोर्ट दिनांक 05.07.2023 के अनुसार सम्बन्धित कॉलोनाईजर द्वारा सम्पूर्ण विकास कार्यों का लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अतः भूखण्ड सं. बी-17, बी-24, बी-27, बी-33, बी-38, बी-45, बी-49 कुल 07 भूखण्ड अन्डरटेकिंग से मुक्त किये जाते है।

21/7

(शैलेन्द्र कुमार गोदारा)
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका सूरतगढ़

कार्यालय नगरपालिका मण्डल सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज०)

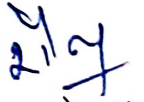
क्रमांक/भूमि/2023-24/1131

दिनांक : 06/07/2023

— : प्रमाण-पत्र : —

नगरपालिका सूरतगढ़ द्वारा (1) श्री अवतार सिंह पुत्र श्री हरप्रीत सिंह (2) श्री अरविन्द बंसल पुत्र श्री मदन लाल (3) श्री जय किशन पुत्र श्री प्रवीन कुमार (4) श्री दीपक गर्ग पुत्र श्री राज कुमार निवासीयान सूरतगढ़ द्वारा कस्बा सूरतगढ़ खसरा नं. 329/2/6 में 1.599 हे., यानि 15990 वर्गमीटर भूमि (आशियाना डेवलपर्स, सूरतगढ़) (कृषि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत कृषि भूमि से अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ अनुज्ञा आदेश क्रमांक 803-806 दिनांक 08.04.2022 को अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ़ द्वारा जारी किया गया है। उक्त आवासीय कॉलोनी में आन्तरिक विकास के अन्तर्गत पोलिंग सड़क, नालिया, वाटर पाईपलाईन, पार्क, विद्युत कार्य व सिवरेज लाईन हेतु कॉलोनाईजर द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर भूखण्ड सं. ए-14, ए-15, ए-16, ए-20, ए-23, ए-24, ए-25, ए-68 कुल 08 भूखण्ड (योजना का 12.5 प्रतिशत भाग) पालिका के पास रहन रखे गये हैं, जिसको बिना पालिका के अनुमति से विकासकर्ता द्वारा किसी भी स्थिति में विक्रय नहीं किया जावेगा। आन्तरिक विकास कार्य जैसे-जैसे पूर्ण करने की स्थिति में जांच उपरांत रहन मुक्त किये जा सकेंगे।

पालिका समिति की मौका रिपोर्ट दिनांक 05.07.2023 के अनुसार सम्बन्धित कॉलोनाईजर द्वारा सम्पूर्ण विकास कार्यों का लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अतः भूखण्ड सं. ए-14, ए-15, ए-16, ए-20, ए-23, ए-24, ए-25 कुल 07 भूखण्ड अन्डरटेकिंग से मुक्त किये जाते हैं।


(शैलेन्द्र कुमार गोदारा)
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका सूरतगढ़

कार्यालय नगरपालिका मण्डल सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज०)

क्रमांक/भूमि/2023-24/1132

दिनांक : 06/07/2023

— : प्रमाण-पत्र : —

नगरपालिका सूरतगढ़ द्वारा (1) श्री राम प्रसाद पुत्र श्री गौरी शंकर (2) श्री महेन्द्र पुत्र श्री गंगा जल निवासीयान सूरतगढ़ द्वारा करवा सूरतगढ़ खसरा नं. 329/2/2/1 में 0.905 हे., व खसरा संख्या 329/2/6/1 में 0.565 हे. कुल हैक्टयर 1.470 यानि 14700 वर्गमीटर भूमि (आशियाना डेवलपर्स, सूरतगढ़) (कृषि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत कृषि भूमि से अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ अनुज्ञा आदेश क्रमांक 799-802 दिनांक 08.04.2022 को अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ़ द्वारा जारी किया गया है। उक्त आवासीय कॉलोनी में आन्तरिक विकास के अन्तर्गत पोलिंग सड़क, नालिया, वाटर पाईपलाईन, पार्क, विद्युत कार्य व सिवरेज लाईन हेतु कॉलोनाईजर द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर भूखण्ड सं. सी-03, सी-04, सी-05, सी-06, सी-07, सी-34, सी-35, सी-36, सी-37, सी-38, कुल 10 भूखण्ड (योजना का 12.5 प्रतिशत भाग) पालिका के पास रहन रखे गये है, जिसको बिना पालिका के अनुमति से विकासकर्ता द्वारा किसी भी स्थिति मे विक्रय नहीं किया जावेगा। आन्तरिक विकास कार्य जैसे-जैसे पूर्ण करने की स्थिति मे जांच उपरांत रहन मुक्त किये जा सकेंगे।

पालिका समिति की मौका रिपोर्ट दिनांक 05.07.2023 के अनुसार सम्बन्धित कॉलोनाईजर द्वारा सम्पूर्ण विकास कार्यों का लगभग 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अतः भूखण्ड सं. सी-03, सी-04, सी-05, सी-06, सी-07, सी-34, सी-35, सी-36, सी-37, सी-38, कुल 10 भूखण्ड अन्डरटेकिंग से मुक्त किये जाते है।

217

(शैलेन्द्र कुमार गोदारा)
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका सूरतगढ़

